भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 5555

04 अप्रैल, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

महाराष्ट्र में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं

5555. डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:
श्री संजय दिना पाटील:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई अथवा पूरी की गई स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त राज्य में मौजूदा स्वास्थ्य अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(घ) यदि हां, तो आधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के साथ उन्नयन किए गए अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार उक्त राज्य में आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ सहयोग कर रही है;

(च) यदि हां, तो ऐसी साझेदारियों का ब्यौरा क्या है और इन पहलों के अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(छ) क्या सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करने के लिए उक्त राज्य में नए एम्स और चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का विचार है;

(ज) यदि हां, तो इन संस्थानों के लिए चिह्नित स्थानों का ब्यौरा क्या है और उन्हें पूरा करने की समय-सीमा क्या है; और

(झ) महाराष्ट्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों सहित प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां क्या हैं और इन मुद्दों के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर महाराष्ट्र राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया (एचडीआई) (अवंसरचना और मानव संसाधन), 2022-23 एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। महाराष्ट्र सहित देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी अवसंरचना का विवरण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:
https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

महाराष्ट्र में 12,311 सहित 1.76 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जाती है। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं, संचारी रोगों, गैर-संचारी रोगों और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों को शामिल करते हुए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए निवारक, प्रोत्साहन, पुनर्वास और उपचारात्मक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करते हैं।

प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) का उद्देश्य 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उप-स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों, ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों, एकीकृत जिला जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉकों के लिए अवसंरचना के विकास में सहयोग देना है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए महाराष्ट्र राज्य के लिए पीएम-एबीएचआईएम के तहत कुल 1,195.14 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। पीएम-एबीएचआईएम के तहत महाराष्ट्र राज्य में कुल 36 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और 36 सीसीबी को मंजूरी दी गई है।

15वें-वित्त आयोग ने राज्यों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से पांच वर्ष (2021-2026) की अवधि में कुल 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक के लिए महाराष्ट्र राज्य के लिए 15वें-वित्त आयोग के स्वास्थ्य अनुदान के तहत कुल 7,066.74 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

(ङ) और (च): आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसमें महाराष्ट्र सहित भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर निचले 40% हिस्से के अंतर्गत आने वाले 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या प्राप्त करने के उद्देश्य से अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। महाराष्ट्र में, 1,129 निजी और 508 सरकारी अस्पताल एबी -पीएमजेएवाई के तहत सूचीबद्ध हैं।

चिरकालिक गुर्दा रोग (सीकेडी) के रोगियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (पीएमएनडीपी) में गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले सभी लाभार्थियों को देश के सभी जिला अस्पतालों में निःशुल्क डायलिसिस सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। पीएमएनडीपी सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड और इन-हाउस मोड दोनों में कार्यशील है। महाराष्ट्र में, पीएमएनडीपी के तहत इन-हाउस मोड में 63 केंद्र और पीपीपी मोड पर 34 केंद्र कार्यशील हैं।

(छ) और (ज): प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के तहत, महाराष्ट्र के नागपुर में एक एम्स जो कार्यशील है, सहित देश में 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, महाराष्ट्र में विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाकेंद्रों के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए, पीएमएसएसवाई के एक अन्य घटक के तहत केंद्र-राज्य के बीच लागत हिस्सेदारी के आधार पर छह (06) सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों (एसएसबी) का निर्माण करके इनके उन्नयन को मंजूरी दी गई है। ये मेडिकल कॉलेज (i) ग्रांट मेडिकल कॉलेज और सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, मुंबई (ii) सरकारी मेडिकल कॉलेज, नागपुर (iii) सरकारी मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद (iv) सरकारी मेडिकल कॉलेज, लातूर (v) सरकारी मेडिकल कॉलेज, अकोला और (vi) श्री वसंतराव नाइक सरकारी मेडिकल कॉलेज, यवतमाल हैं।

'मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत अनुमोदित 157 मेडिकल कॉलेजों में से, महाराष्ट्र के गोंदिया और नंदुरबार जिले में 02 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं और ये कार्यरत हैं।

(झ): विशेष रूप से ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में अल्पसेवित और वंचित समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए, भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र सहित देश में एनएचएम के तहत की गई विभिन्न पहलों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवाएं, मोबाइल मेडिकल यूनिट,

आशाकर्मी, 24 x 7 सेवाएं और प्रथम रेफरल सुविधाएं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) रणनीति, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान (पीएमटीबीएमबीए) और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं।

संचालनरत एएएम में उपलब्ध टेली-परामर्श सेवाओं से लोगों को उनके घरों के नजदीक विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं, जिससे स्वयं वहां पहुंचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, स्वास्थ्य परिचर्या की लागत कम लगती है, सेवा प्रदाताओं की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और स्वास्थ्य परिचर्या की निरंतरता बनी रहती है। दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार एएएम में कुल 34.90 करोड़ टेली-परामर्श किए गए।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति और महिला आरोग्य समिति जैसे सामुदायिक मंच तथा जन आरोग्य समिति जैसे सुविधाकेंद्र-आधारित मंच राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्वास्थ्य पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायक हैं। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (एनक्यूएएस) के आकलन से पूरे देश में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है।

भारत सरकार ने झारखंड सहित पूरे देश में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदायगी को प्रोत्साहित करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों को प्रोत्साहन-राशि और मानदेय देने जैसी कई पहल की हैं, जिनमें शामिल हैं:

i. ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा देने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को हार्ड एरिया भत्ता और उनके आवासीय क्वार्टरों के लिए भत्ता दिया जाता है ताकि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में सेवा करना आकर्षक लगे।
ii. राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए "यू कोट, वी पे" जैसी कार्यनीतियों में लचीलापन देकर बातचीत से तय वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है।
iii. दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्राथमिकता और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन भी एनएचएम के तहत शुरू किए गए हैं।
iv. विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत डॉक्टरों के बहु-कौशल को बढ़ावा दिया जाता है। स्वास्थ्य परिणामों में सुधार लाने के लिए मौजूदा मानव संसाधन का कौशल उन्नयन एनआरएचएम की एक और प्रमुख रणनीति है।

******